217

-1-

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर म.प्र.

R-1722-J/16

1. आशाराम तनय बन्दू लोधी
2. सूरज तनय देशराज लोधी
3. रामचन्द्र तनय धूराम लोधी
4. गोवर्धन तनय सुक्कू लोधी
5. उपेन्द्र तनय जयराम लोधी, नाबालिग वली सरंक्षक पिता जयराम तनय सुक्कू लोधी निवासी ग्राम सिजौरा तह. खरगापुर जिला छतरपुर .....निगरानीकर्ता

B.O.R.
13 MAY 2016

विरूद्व

म.प्र.शासन .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर टीकमगढ द्वारा प्रकरण क्र 25/बी–121/12–13 में पारित आदेश दिनांक 21/3/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रही है :–

39
16/05/16

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सरकनपुर स्थित भूमि खसरा क्र 616,616अ,1424619/2,627,99/633 कुल रकवा 2.696 हे भूमि का अस्थाई पट्टा 10 वर्ष की अवधि के लिए सशर्त हरिया व डिवोला ढीमर को प्र.क्र 22/अ–19/1975–76 में पारित आदेश दिनांक 11/12/1975 के माध्यम से दिया गया था परंतु पट्टेदार कभी भी उक्त भूमि में काबिज नहीं रहे जिस कारण से भूमि को म.प्र. शासन के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया तथा बाद में भूमि खसरा क्र 616/1 रकवा 0.900 हे जिस पर प्रभादेवी का 1984 के पूर्व से कब्जा निरंतर चला आ रहा था उसका व्यवस्थापन प्रभादेवी के नाम पर किया गया तथा प्रभादेवी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से उक्त भूमि को आवेदकगण को विक्रय कर दिया गया था।

2. यह कि, हरिया की पुत्री गनेशीबाई द्वारा धारा 115,116 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र तहसीलदार खरगापुर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि उक्त भूमि का पट्टा उसके पिता को प्रदत्त किया गया था इस कारण से उक्त भूमि पर उसका नाम विधिक वारसान के रूप में दर्ज किया जावे जिसके आधार पर तहसीलदार खरगापुर द्वारा प्रकरण को अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर टीकमगढ को भेजा गया परंतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 1722/I/16 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-5-16	1– आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंघई उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष के तर्क सुने। 2– मैनें प्रकरण का अवलोकन किया एंव उभयपक्ष के तर्कों पर विचार किया गया। यह निगरानी अपर कलेक्टर टीकमगढ के प्रकरण क्रमांक 25/बी–121/12–13 मे पारित आदेश दिनांक 21/3/16 के विरूद्व म0 प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा–50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदकगण की ओर तर्क में कहा गया है कि संहिता की धारा 165(7) ख, के अनुसार बिना कलेक्टर महोदय की स्वीकृति के कोई पट्टेदार अपनी भूमि विक्रय नहीं कर सकता है, परंतु संहिता की धारा 158(3) में यह व्यवस्था दी गई कि पट्टेदार 10 वर्ष बाद भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के बाद अपनी भूमि का विक्रय बिना कलेक्टर महोदय की अनुमति के भी कर सकता है। 4– आवेदकगण की ओर से तर्क दिया गया है कि इस प्रकरण में ग्राम सरकनपुर स्थित भूमि खसरा क्र 616, 616अ, 1424, 619/2, 627, 99/633 कुल रकवा 2,696 हे का अस्थाई पट्टा सशर्त हरिया व डिवोला ढीमर को 11/12/1975 को दिया गया पर उनके द्वारा ना ही शर्तों का पालन किया गया और ना ही भूमि पर कब्जा किया गया जिस कारण उक्त भूमि पुनः म.प्र. शासन दर्ज की गयी तथा भूमि खसरा 616/1 रकवा 0.900 हे पर प्रभादेवी का 1984 के पूर्व कब्जा था जिस कारण से वर्ष 1995 में खसरा 616/1 का व्यवस्थापन प्रभादेवी के नाम पर किया गया जिसे उसके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27/6/11 के माध्यम से आवेदकगणों का विक्रय कर दिया गया। 5– आवेदकगण की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि हरिया की पुत्री गनेशीबाई द्वारा संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र तहसीलदार खरगापुर को दिया गया था जिसे तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ के माध्यम से कलेक्टर टीकमगढ को प्रेषित किया गया था तथा अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ द्वारा वर्तमान की स्थिती को दृष्टिगत रखते हुए आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया था जिसके विरूद्व गनेशीबाई द्वारा एक अपील अपर कलेक्टर टीकमगढ के	

[क्रृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	समक्ष प्रस्तुत की जिसमें समस्त आवेदकगणों को पक्षकार बनाये बिना अपर कलेक्टर द्वारा आवेदकगण द्वारा धारा 165 का उल्लंघन मान्य कर उनकी भूमि म.प्र.शासन घोषित किए जाने का आदेश पारित किया है।	
	यह भी तर्क किया है कि बंटन वर्ष 1995 के पश्चात विक्रय वर्ष 11 के अनुसार विक्रताओं को भूमि स्वामी हक प्राप्त हो गया था ऐंसी स्थिति में प्रस्तावित कार्यवाही एवं पारित आदेश उपरोक्त इस प्रकरण में प्रभावशील नहीं है, जैसा कि रे.नि. 2004 पृष्ठ 183 दयाली तथा 1 अन्य विरूद्ध महिला श्यामबाई व अन्य में भी मान्य किया गया है कि, धारा 165(7—ख)— सरकारी पट्टेदार द्वारा आवंटन के 10 वर्ष पश्चात् भूमि स्वामी अधिकार अर्जित—भूमि का विक्रय कर सकता है— कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा आवश्यक नहीं। इसी प्रकार का अभिमत माननीय उच्च न्यायालय न्यायाधीन एस.के. गंगेले ने वर्ष 2013 में प्रकरण आधुनिक गृह निमार्ण सहकारी समिति मर्या. वि. म.प्र. राज्य तथा एक अन्य में मान्य किया है। जो इस प्रकरण में प्रभावशील है।	
	6— मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ का आदेश एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों तथा न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में ना ही समस्त आवेदकगणों को पक्षकार बनाया और ना ही साक्ष्य सुनवाई का कोई अवसर प्रदाय किया गया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत के विपरीत है। प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा वर्ष 1995 में दिया गया था और भूमि का विक्रय वर्ष 2011 में किया गया है। जो 10 वर्ष पश्चात् लगभग 16 वर्ष बाद किया गया है ऐंसी स्थिति में पट्टेदार को भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के बाद किया गया अंतरण अवैध नहीं माना जा सकता। आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में अपर कलेक्टर टीकमगढ द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश आवेदकगणों के हित तक स्थिर रखे जाना नहीं पाता हूँ।	
	7— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम सरकनपुन स्थित भूमि खसरा क्र 616/1 रकवा 0.900 हेक्टेयर पर आवेदकगणों का नाम पर्ववत् राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।	
	सदस्य	